संख्या- 152 /2023/ 724/चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023**

विषयः- जनपद बांदा के अलीगंज में स्थित रामलीला मैदान में कला मंच के साथ चाहरदीवारी गेट व शेड के प्रस्तावित निर्माण कार्यों की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2112/सं0नि0-6(131)/2018-19, दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बांदा के अलीगंज में स्थित रामलीला मैदान में कला मंच के साथ चाहरदीवारी गेट व शेड के प्रस्तावित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित लागत रू0 278.22 लाख (रूपये दो करोड़ अठहत्तर लाख बाइस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 90.00 लाख (रूपये नब्बे लाख मात्र) निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) जनपद बांदा शहर के अलीगंज खूटी चौराहा स्थित रामलीला मैदान में सार्वजनिक शौचालय, मल्टी परपज हाल, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट, बोरिंग एवं समरसेबल पम्प, हर्टिकल्चर कार्य, इन्टरलाकिंग टाईल्स एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि के निर्माण कार्य हेतु यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही परियोजना में प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु रू0 77.00 लाख (रूपये सतहत्तर लाख मात्र) बुंदेलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से मुख्य विकास अधिकारी, बांदा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। शेष धनराशि रू0 201.22 लाख राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से स्वीकृत किया जायेगा। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर राज्य बजट से रू० 90.00 लाख इस शर्त के साथ अवमुक्त किया जा रहा है कि सर्वप्रथम बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से प्रस्तावित अंशदान की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-45/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4 प्रायोजना का निर्माण कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था की होगी।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका सदुपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(10) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(11) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -092 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला तथा संस्कृति -800- अन्य व्यय -41- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-518 /दस-2022-23 दिनांक 26 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 152 /2023/ 724 (1) /चार-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, बांदा, उ0प्र0।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट-13, बांदा।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।